This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 06 मई, 2026 / 16 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment –II

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th March, 2026

No. Per(AP.B)A(1)-1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Separate and Distinct State Cadre of Junior Engineer (Civil), under the administrative control of

Directorate of Recruitment, Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order,
Sd/-
(SANJAY GUPTA, IAS),
Chief Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment –II

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th March, 2026

No. Per(AP.B)A(1)-1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Separate and Distinct State Cadre of Junior Office Assistant (Information Technology), Group-C (Non-Gazetted), under the administrative control of Directorate of Recruitment, Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order,
Sd/-
(SANJAY GUPTA, IAS),
Chief Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment –II

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd April, 2026

No. Per(AP.B)A(1)-1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Separate and Distinct State Cadre of Work Inspector, Group-C (Non-Gazetted), under the administrative control of Directorate of Recruitment, Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order,
Sd/-
(SANJAY GUPTA, IAS),
Chief Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2026

No.HHC/Estt.3(1048)/2020.—13 days earned leave on and *w.e.f* 04-05-2026 to 16-05-2026, with permission to prefix Sunday falling on 03-05-2026 and suffix Sunday falling on 17-05-2026, is hereby sanctioned in favour of Shri Gangesh Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Gangesh Sood is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gangesh Sood would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2026

No. HHC/Estt. 3(552)/2004-I-.—09 days earned leave on and with effect from 11-05-2026 to 19-05-2026, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 09-05-2026 and 10-05-2026, is hereby sanctioned, in favour of Smt. Vandna Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Vandna Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Vandna Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th April, 2026

No.HHC/GAZ/14-350/2014-.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave *w.e.f.* 04-05-2026 to 07-05-2026 with permission to prefix Sunday falling on 03-05-2026 in favour of Sh. Bhuvnesh Awasthi, District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P.

Certified that Sh. Bhuvnesh Awasthi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Certified that Sh. Bhuvnesh Awasthi would have continued to hold the same post of District and Sessions Judge, Hamirpur but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th April, 2026

No.HHC/Estt.3(759)/2010-.—12 days earned leave on and *w.e.f.* 27-04-2026 to 08-05-2026, with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 09-05-2026 and 10-05-2026, is hereby sanctioned, in favour of Shri Karan Singh Guleria, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Karan Singh Guleria is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Karan Singh Guleria would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd May, 2026

No.HHC/GAZ/14-252/2002-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 16-04-2026 to 18-04-2026 with permission to prefix Sunday fell on 19-04-2026 in favour of Sh. Vivek Sharma, Principal Judge, Family Court, Shimla.

Certified that Sh. Vivek Sharma had joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vivek Sharma would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th April, 2026

No.HHC/GAZ/14-290/06-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 04-05-2026 to 08-05-2026 with permission to prefix Sunday falling on 03-05-2026 and suffix Second Saturday & Sunday falling on 09-05-2026 & 10-05-2026 in favour of Sh. Sidharth Sarpal, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POSCO), Mandi, H.P.

Certified that Sh. Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court (POSCO), Mandi, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

OFFICE ORDER

Shimla, the 30th April, 2026

No.HHC/Estt.7(57)/2021.—In pursuance of the directions issued by the Hon’ble Supreme Court of India in Criminal Miscellaneous Petition No. 7862 of 2017 in Criminal Appeal No. 1971 of 2026 titled Shankar Mahto *Vs.* State of Bihar, Hon’ble the Chief Justice has been pleased to constitute a Committee comprising of following Hon’ble Judges in terms of SOP 8 and in terms of National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 and to look into the aspect of assessing the SOPs and determine the feasibility of implementation of SOPs :—

1. Hon’ble Mr. Justice Vivek Singh Thakur, Judge

2. Hon’ble Mr. Justice Sandeep Sharma, Judge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th May, 2026

No. HHC/GAZ/14-386/2018.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 04-05-2026 to 08-05-2026 with permission to prefix Sunday falling on 03-05-2026 in favour of Ms. Isha Agarwal, Civil Judge-*cum*-JMFC (I), Una, H.P.

Certified that Ms. Isha Agarwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Isha Agarwal would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*- JMFC (I), Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th May, 2026

No.HHC/GAZ/14-280/2005-I.—It is hereby notified for the information of Additional District and Sessions Judge concerned that the 20th Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

Date	Paper/subject	Time
Tuesday 23-06-2026	Criminal Law	10.00 A.M. to 1:00 P.M.
	Civil Law	2.00 P.M. to 5:00 P.M.
Wednesday 24-06-2026	Revenue Law	10.00 A.M. to 1:00 P.M.
	Constitution of India	2.00 P.M. to 5:00 P.M.
Thursday 25-06-2026	High Court Rules & Orders and Accounts	10.00 A.M. to 1:00 P.M.
	Language (Hindi in Devnagri script)	2.00 P.M. to 5:00 P.M.

By order,
Sd/-
Secretary Departmental, Examination Committee.

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION UNA, DISTRICT UNA, H.P.-174 303

Phone No: 01975-226040, Email: mcorpuna.hp@gmail.com
Website: https://mcuna.org/

NOTIFICATION

Dated, the 30h April, 2026

No. MCU/P.Tax bye Laws/Comm/2026-1099.—Whereas, the Municipal Corporation Una has drafted **"**Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-laws-2026" and were published in the Rajpatra Himachal Pradesh (extra-ordinary) on 28-03-2026 *vide* Notification of even number dated 13 March 2026 for inviting public objections, suggestions under Section 397 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

And whereas no objections were received from any quarter within the specified period of 30 days from the date of publication of these draft Bye-laws.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 395 and 396 read with Section 88 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) the following Bye-Laws are hereby made by the Municipal Corporation Una for regulating/framing of **"The Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-Laws 2026"**, are hereby notified and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (extra-ordinary) for information of the general public as follows, namely:—

MUNICIPAL CORPORATION UNA
(PROPERTY TAXATION) BYE-LAWS- 2026

1. Short title and commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-laws- 2026.

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these Bye-laws unless the context otherwise require :—

(i) **'Act'** means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994) read with its amendment carried out vide H.P. Municipal Corporation (Amendment) Act No. 32 of 2011.

(ii) **'Appellate Authority'** means an authority prescribed under Section 132 of the Act.

(iii) **'Assessment List'** means the list of all units of the lands and Buildings assessable to property tax under the provisions of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994.

(iv) **'Assessment year'** means the year commencing from the first day of April to 31st day of March of succeeding year.

(v) **'Bye-Laws'** means the Municipal Corporation Una (Property Taxation) Bye-laws, 2026 made under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and notified in the official gazette.

(vi) **'Corporation'** means the Municipal Corporation Una

(vii) **'Section'** means a Section of the Act

(viii) **'Rateable value'** as defined in Section 88 of the Act and procedure as prescribed under these Bye-laws.

(ix) **'Unit'** means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and built-up portion of the building. This will not include setbacks area of Building agricultural lands and land in notified green belt as notified under the Interim Development Plan of Una Planning Area.

(x) **'Unit area'** means area of a unit in square meters

(xi) **'Unit area tax'** means property tax on unit(s) of lands & Buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of rateable value of unit(s) of lands & Buildings by the Corporation from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Commissioner shall keep a book to be called the "Assessment List" in which the following shall be entered in **Form–A** appended to these Bye-laws : —

(i) A list of all units of the lands and Buildings located within the jurisdiction of Una Municipal Corporation, distinguishing each, either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.

(ii) The rateable value of each unit of the lands and Buildings

(iii) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or Building.

(iv) If any such unit of a land or a Building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and

(v) Other details; if any, as the Commissioner may from time to time think, fit.

Explanation.—(i) for the purpose of clause (b) the rateable value of unit(s) of land will be the rateable value of unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii**)** For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as "land" till the completion plan of building is sanctioned by Municipal Corporation Una or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as "land".

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the **form-A** hereto. The Commissioner may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the Performa of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or Building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as "the holder" of such unit of land or Building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Commissioner shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of objections.—The Commissioner shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (4) of Section 94 and sub-section (2) of Section 96 shall be entered. The register shall contain : —

(vi) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;

(vii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;

(viii) Name of the objector;

(ix) The rateable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the Committee constituted in this behalf;

(x) The date from which the rateable value finally fixed has to come into force; and

(xi) Such other details as the Commissioner may from time to time think, fit.

8. Amendment of assessment list as per provisions of Section 96 and investigation and disposal of objections against such amendment.—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 96 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under sub-section (2) of Section 96 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub Section 5 of Section 94 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said Committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the Committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that the payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Corporation or at such other place(s) and time as may be specified by the Commissioner. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favor of the Commissioner, Municipal Corporation Una, payable at Una or through RTGS in the Bank Account of Municipal Corporation Una declared for the said purpose by the Commissioner, further, the option, to pay property tax is also available through "online mode" on government portal, which is specified by the department of Urban Development Shimla H.P.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill (online or offline) on form-B annexed to these Bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be affected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, the same shall be affected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served, fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Commissioner or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 124 of the Act :

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the rateable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* upto 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection.—(i) A register of demand & collection of property tax in **Form-F** appended to these Bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Commissioner may think fit.

(ii) The register may, if any, the Commissioner thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Commissioner may determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.—For the purpose of Section 127 and 128 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 : —

(i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;

(ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on an account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended; and

14. Remission/Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Commissioner every year.—When a vacancy continues from one year into the following year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Corporation on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Commissioner within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Corporation staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Commissioner may refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property is verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Commissioner may, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Commissioner from time to time.

17. Notice of transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property required to be given under Section 98 shall be either in **Form-C or in Form-D** annexed to these Bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid up to date.—No such notice as contained in Bye-laws 17 above shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/occupier(s).—The Commissioner may require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in **Form–E** appended to these Bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of his/her knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non-submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under Bye-laws 19 of these Bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his/her knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 101 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Commissioner in respect of such unit of the lands or Building of which he/she is the owner or occupier.

21. Inspection of tax record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land and building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Commissioner or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location factor, characteristic and its value.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, the location Factor, Characteristic and its values shall be as under : —

Zoning of Una town proposed as follows : —

Zone A :- Includes the old Municipal Corporation Area.

Zone B :- Includes the newly merged area (i.e. merged in to Municipal Corporation Una *vide* Govt. of HP Notification **No. UD-A (1)-3/2022 Dated Shimla-2, the dated – 23-12-2024.**

(ii) **Number of Zones**.—The entire old and merged Municipal area is proposed to be divided into two zones *i.e.* A & B zone as referred above. There are five factors which are relevant for determination of rateable value of lands & Buildings. The factor and proposed value of each factor per sq. meter shall be as under : —

(I) *Location factor(F-1) @ 2.50*

23. Structural factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, Buildings shall be classified as Pucca, Semi-Pucca and Kutcha in the following manner: —

I. For Pucca- buildings, value per Sq. mtr = **3.00**
II. For Semi-pucca building, value per Sq. mtr = **2.00**
III. For Kutcha building, value per Sq. mtr **= 1.00**

24. Age Factor and Age-wise grouping and value of the building.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under : —

Group	Building	Factor Value
A	Before 1947	**0.75**
B	1947 to 1980	**1.50**
C	1981 to 2000	**2.00**
D	2001 to 2021	**2.50**
E	2021 & beyond	**3.00**

25. Occupancy factor, characteristics and its value.—For the purpose of Clause (C) of Section 88 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under :

(i) Value for residential occupancy : —

(a) Value for self-residential	(b) Value for Let out residential
2	**2.5**

(ii) Value per Sq. mtr. for non-residential Occupancy

A	B	C	D	E
Hotel above built up area of 2000 Sq. mtr., MNC Show Rooms and Restaurants	Hotel having built up area between 1000 to 2000 Sq. mtr. and show room above 1000 Sq. mtr.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centres.	Shops, School, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House	Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (A to D)
12	**10**	**8**	**7**	**3**

26. Use factor, characteristic and its value.—For the purpose of Clause (c) of Section 88 of the Act, the Value of use factor and characteristic of the unit(s) of Lands & Buildings shall be as under :—

(i) Residential = **1.50**

(ii) Non-Residential = **2.50**

27. Method for calculation of ratebale value and Rate of property tax on the rateable value of the unit of lands and Buildings.—Area (in Sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned above *vide* Clause 22 to 26 of these Bye-laws. The figure that will so come out, thereof shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value as under :—

Zone	Lands	Building
Zone - A	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 12.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone-A.
Zone - B	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 11.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone-B.

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the service of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per Section 121 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provisions of the Section 124 of the Act.

29. Repeal and Savings.—The scheme, regulation or Bye-laws, if any, heretofore relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or Bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these Bye-laws.

By order,

Sd/-
Commissioner,
M.C. Una.

MUNICIPAL CORPORATION UNA

PROPERTY TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST
(*See* Bye-laws -4) FORM-A

UPN-No. _____I.D. No. _____ZONE

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				

Commercial				
Plot of Land				

DATE OF ASSESSEMENT				
Sl. No.	Name of Property	Name of Owner	Name of Tenant or Occupier	Remarks

Municipal Corporation Una

Form-B

(Property Tax Department)

Ph. No. 01975-226040

(*See* Bye-Laws 10)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year _____Bill No. _____Dated _____

Zone_____Bill(s) Detail

UNP No.	
ID No.	
Name of Property	
Name of Owner/Occupier	
Correspondence Address	
Due date 15 days from the date of receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill.	

Unit	**Area**	**Net Rateable Value**	**Property Tax Percentage**	**Amount of General Tax**
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

Detail of demand for Property Tax for the year_____Period _____

Sl. No	Description of Tax	Amount
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate @ 10 % (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period _____	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	
7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

Please pay bill before due date to avail 10% rebate

Bill Prepared By ***Bill Checked By*** ***Joint Commissioner***

Receipt

UNP No. _____
ID No._____
Name of Owner/Occupier _____

Bill No. ____Bill Date_____
Amount before due date_____
Amount after due date _____
Amount Paid _____
Receipt No._____Dated_____

Cashier, MC Una.

Terms & Conditions:

1. The Municipal Corporation Treasury is open from 10:00 AM to 02:00 PM on all working days.

2. Cheques should be drawn in favor of Commissioner Municipal Corporation Una

3. Out stations cheques should be including the discount charged in such cheques

4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised (online or offline) for the first time, if the amount specified in the bill is paid (online or offline) within 15 days from the presentation thereof. Bills sent under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date the posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.

5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.

6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at alater date and the same is without any prejudice to the rights of the Una Municipal Corporation to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/ structure.

7. In case any of your payments have not been adjusted please do come with original receipts given by the Municipal Corporation Una.

8. Please always mention No./date, name of house and demand No. in all correspondence

9. It is requested that this bill be presented while tendering payment.

Form-C

(*See *Bye-law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument.

To

The Joint Commissioner,
Municipal Corporation, Una.

I _____S/o_____

R/o_____hereby give notice as required by section 98 of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) of the following transfer of property :—

Description of Property

Name of address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	

Date _____

Name of Owner/Occupier_____

Address _____

_____

_____

Mob. No _____

_____

Form-D

(*See *Bye-law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument.

To

The Joint Commissioner,
Municipal Corporation, Una.

I _____S/o_____

R/o_____hereby give notice as required by section 98 of the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) of the following transfer of property :—

Description of Property

Name of address of person whose Title has been transferred	Name heir/ successor to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	

Date _____

Name of Owner/Occupier_____

Address _____

_____

_____

Mob. No _____

_____

FORM-E

(*See* Bye-law 19)

(Tax liability form under section 99/101 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994)

To

The Joint Commissioner,
Municipal Corporation, Una.

Subject :—Filling of return for assessment of properties for Municipal Taxes

Sir/Madam,

I am submitting the details of property known as…..... I.D. No. ….....…… Ward No……..... Zone.....as under: —

Sl. No.	Unit	Area	Factors					Total rateable Value	Maintenance & Repair Rebate @10% under section 88 of MC Act	Net rate-able value	Remarks
			F1	F2	F3	F4	F5	F1 to F5			

								(Multiply)			
1.	(a) Residential		2.50			2.00	1.50				
	(b) Let out Residential		2.50			2.50	2.50				
2.	Non-Residential/ Commercial										
	(a) Hotel above built-up area of 2000 sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants		2.50			12	2.50				
	(b) Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq.m. and showroom above 1000 sq. M.		2.50			10	2.50				
	(c) Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre		2.50			8	2.50				
	(d) Shops, Schools, Colleges, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House, Educational Institutions, Offices		2.50			7	2.50				
	(e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under(a to e).		2.50			3	2.50				
3.	Plot of Land		2.50								

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge or belief and that nothing has been concealed therefrom.

Date……

Yours faithfully,

(Signature)
*Owner/Agent/Occupier.
Name in block letters…..……..

Address……
……..…
……

Mob. No……..……..

I. Number of zones.—The entire old and merged Municipal area has been divided *i.e.* A & B zone.

Location factor(F-1) @ 2.50

II. Structural factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, Buildings shall be classified as Pucca, Semi-Pucca and Kutcha in the following manner :—

(i) For Pucca- buildings, value per Sq.mtr = **3.00**

(ii) For Semi-pucca building, value per Sq. mtr = **2.00**

(iii) For Kutcha building, value per Sq.mtr **= 1.00**

III. Age Factor and Age-wise grouping and value of the building.—For the purpose of clause (c) of Section 88 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under : —

Group	Building	Factor Value
A	Before1947	**0.75**
B	1947 to 1980	**1.50**
C	1981 to 2000	**2.00**
D	2001 to 2021	**2.50**
E	2021 & beyond	**3.00**

IV. Occupancy factor, characteristics and its value.—For the purpose of Clause (C) of Section 88 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under : —

Value for residential occupancy : —

(a) Value for self-residential	(b) Value for Let out residential
2	**2.5**

V. Value per Sq.mtr. for non-residential Occupancy :

A	B	C	D	E
Hotel above built up area of 2000 Sq. mtr., MNC Show Rooms and Restaurants	Hotel having built up area between 1000 to 2000 Sq. mtr. and show room above 1000 Sq. mtr.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centers	Shops, School, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House	Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (A to D)
12	**10**	**8**	**7**	**3**

V. Use factor, characteristic and its value.—For the purpose of Clause (c) of Section 88 of the Act, the Value of use factor and characteristic of the unit(s) of Lands & Buildings shall be as under : —

(i) Residential = **1.50**

(ii) Non-Residential = **2.50**

VI. Method for calculation of ratebale value and Rate of property tax on the rateable value of the unit of lands and Buildings.—Area (in Sq.mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned above *vide* Clause 22 to 26 of these Bye-laws. The figure that will so come out, thereof shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value as under : —

Zone	Lands	Building
Zone-A	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 12.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone-A.
Zone-B	@ rate of 10 % for lands	@ rate of 11.50% for self-occupied residential properties and non-residential properties in whole Municipal area Zone-B.

Form-F

(*See* Bye-laws 12)

Demand and Collection Register

Financial Year for the Year……..

UNP No. _____

ID No. _____

Name of Property _____

Name of Owner/Occupier _____

Correspondence Address _____

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

General Tax	Rebate	Total General Tax	Previous Arrear Amount	Interest	Net Amount Payable	Bill No.	Bill issue Date	Current General Tax Collection	Rebate & Remission	Arrear collection	Interest Collection	Receipt No.	Receipt Date	Current Balance Amount	Arrear Balance Amount	Credit	Remarks

_____

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 801820 / 2026 तारीख दायर दावा : 12–02–2026 अग्रिम तारीख पेशी : 13–05–2026

श्री तिलक सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव लधेरा, डाकघर तुनुहट्टी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..... प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री अमर जंग सपुत्र श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 2. श्री अजय जंग सपुत्र श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा,

जिला चंबा हि०प्र०, 3 श्रीमती मधू मालती सपुत्री श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 4 श्रीमती शकुन्तला श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 5 श्री प्रेम जंग सपुत्र श्री राम रतन, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 6 श्रीमती वसुधा पुत्री श्री श्याम जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 7 श्रीमती मोनिका पुत्री श्री श्याम जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 8 श्री शचिन्द्र सिंह सपुत्र श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 9. श्री दीपेन्द्र सिंह सपुत्र श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 10 श्रीमती अलका देवी पुत्री श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 11 श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 12 श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 13 श्री महेश कुमार पुत्र श्री शिव जंग, निवासी गांव ककीरा ज़रेई, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 14 श्री राजेश गुरुंग सपुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 15 श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री राम सिंह , निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 16. श्रीमती शीला देवी पुत्री मोहन सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप–तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र० .. प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 2 / 3, खसरा नम्बर 152, 153, 154, 155, 156, 157, कित्ता 6, रकबा तादादी 12–12–07 वर्ग गज मुहाल ककीरा, कस्बा उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा ककीर के 2 / 3, खसरा नम्बर 152, 153, 154, 155, 156, 157, कित्ता 6, रकबा तादादी 12–12–07 वर्ग गज मुहाल ककीरा, कस्बा उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। लेकिन प्रत्यार्थी नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 को बार–बार समन जारी किये गये। लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 13–05–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मंजूर मुहमद पुत्र श्री हसना, निवासी गांव कशिरी, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री मंजूर मुहमद पुत्र श्री हसना, निवासी गांव कशिरी, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, ई श्रम कार्ड में मंजूर मोहमद दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल लांगोई की जमाबंदी वर्ष 2022–23 के खाता क्रमशः 64 / 94 में उनका नाम मंजूर दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 18–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 28–03–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री धारु, निवासी गांव टप्पर, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री धारु, निवासी गांव टप्पर, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर में सुरिंदर कुमार दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल जटोता की जमाबंदी वर्ष 2021–22 के खाता क्रमशः 30 / 38 में उनका नाम सुमिन्द्र सिंह दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज है तो

उजरकर्ता दिनांक 18–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 28–03–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कैलाश चंद पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी गांव शल्ला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री कैलाश चंद पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी गांव शल्ला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम वोटर कार्ड, आधार कार्ड और नकल परिवार रजिस्टर में कैलाश चंद दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल शल्ला की जमाबंदी वर्ष 2023–24 के खाता क्रमशः 1 / 1 में उनका नाम कैलास कुमार दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 18–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 28–03–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 / वाचक / उप–तह0 / तेलका / 2026250, 251 दिनांक : 07–04–2026

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-1558 Dated 23-01-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 23–01–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 12–09–1981 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026253–254 दिनांक : 07–04–2026

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भजोत्रा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-1557 Dated 23-01-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 23–01–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10–03–1989 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––––

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026265–66 दिनांक : 07–04–2026

आवेदिका वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बड़का, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4372 Dated 03-03-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदिका वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 03–03–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01–01–1975 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026262–63 दिनांक : 07–04–2026

आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौड़ा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-3975 Dated 26-02-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 26–02–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 24–06–1982 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026259–60 दिनांक : 07–04–2026

श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालंवा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4373 Dated 03-03-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदक श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 03–03–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01–01–1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026256–57 दिनांक : 07–04–2026

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालंवा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-25313 Dated 16-12-2025.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र

जिसमें आवेदिका श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में काजल का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 16–12–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि 12–05–2009 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तेज राम पुत्र श्री जगतू, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूंड विकास खण्ड चम्बा ..प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2848/2025 दिनांक 20–04–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/8379, दिनांक 20–04–2025, (2) शपथ पत्र आवेदका, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदक तेज राम पुत्र श्री जगतू, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड, ग्राम पंचायत मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक तेज राम पुत्र श्री जगतू, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 20–04–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तेज राम पुत्र श्री जगतू, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 07–01–1956 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक तेज राम पुत्र श्री जगतू, गांव ढलूंई, डाकघर मसरूंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरूंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला विकास खण्ड चम्बा ..प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2060/2025 दिनांक 04–04–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/7272, दिनांक 02–04–2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 02–04–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19–03–1991 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2426/2026, दिनांक 07–04–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/7269, दिनांक 02–04–2026, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 02–04–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01–01–1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..... वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड विकास खण्ड चम्बा ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2003/2025 दिनांक 02–04–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/7282, दिनांक 02–04–2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 02–04–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 04–09–1970 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..... वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 372/2025 दिनांक 19–01–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/16526, दिनांक 31–07–2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 31–07–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 27–05–1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18 / 2026 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2026 / तारीख दायर : 17–04–2026

भतो देवी विधवा श्री लच्छो, गांव ढढोली, परगना राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ·· वादिया।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

भतो देवी विधवा श्री लच्छो, गांव ढढोली, परगना राजनगर, उप तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, बैंक पास बुक में भतो देवी विधवा श्री लच्छो दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल निहुंई, पटवार वृत्त टिकरी में कान्ता देवी विधवा लच्छो व मुहाल सुकरैठा व पटवार वृत्त टिकरी में फन्दो पुत्री श्रीमती मंगला दर्ज है, जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी भी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम मुहाल निहुंई में कान्ता देवी विधवा लच्छो की जगह कान्ता देवी उर्फ भतो देवी विधवा श्री लच्छो व मुहाल सुकरैठा पटवार वृत्त टिकरी में फन्दो पुत्री श्रीमती मंगला की जगह दर्ज फन्दो उर्फ भतो देवी पुत्री श्रीमती मंगला करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

ये इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर / तहसील / रीडर / 2026 तारीख पेशी : 30–04–2026

चतरो पुत्र श्री फानू, निवासी गांव / मुहल्ला फोल्गत, डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजपुरा

विषय.––जन्म / मृत्यु

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1642 / 2026, दिनांक 18–03–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1 जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4925, दिनांक 10–03–2026, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिससे प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री विशेषर, निवासी गांव / मुहल्ला फोल्गत, डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अपने दादा की मृत्यु तिथि 17–12–1994 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत राजपुरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि अपने दादा की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत राजपुरा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री विशेषर, निवासी गांव / मुहल्ला फोल्गत, डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अपने दादा की मृत्यु तिथि 17–02–1994 को ग्राम पंचायत राजपुरा के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की भतीजी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, नादौन,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

आगामी सुनवाई : 10–05–2026

श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री चुहडू राम, निवासी महाल सलोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र श्री चुहडू राम, निवासी महाल सलोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 07–04–2026 को इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम कागजात माल टीका सलोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में चुहडू दर्ज है परन्तु अन्य जगह उनका नाम चुहडू राम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि यह दोनों नाम उसके पिता के हैं। प्रार्थी अब दुरुस्ती करवाकर कागजात माल सलोह, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में अपने पिता का नाम चुहडू राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता का नाम को दुरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन

तारीख पेशी 10–05–2026 बाद दोपहर 02.00 बजे मुकाम नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 09–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहासीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

हरनाम सिंह पुत्र श्री मतावू राम, निवासी महाल व मौजा जखाडा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल जखाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.––इश्तहार गजट राजपत्र हि0प्र0।

प्रार्थी हरनाम सिंह पुत्र श्री मतावू राम, निवासी महाल व मौजा जखाडा, तहसील फतेह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका नाम आधार कार्ड, सर्विस रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में हरनाम सिंह पुत्र मतावू दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड महाल जखाडा खास, तहसील फतेहपुर में उसका नाम हरनामो पुत्र निहालू गलत दर्ज कागजात माल हो गया है। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में ब्यानात वाशिंदगान देह, शपथ पत्र प्रार्थी साथ संलग्न है।

अतः इस इश्तहार गजट राजपत्र हि0प्र0 द्वारा हर आम व खास को प्रार्थी श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री मतावू राम, निवासी महाल व मौजा जखाडा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के आवेदन बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकॉर्ड सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन बारे कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर सहित मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0.	किस्म मुकद्दमा	तारीख पेशी
/ C / 2026	नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख	11–05–2026

श्री चन्दा राम पुत्र लक्ष्मण दास, निवासी सकडयालू मौजा बोहन, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी चन्दा राम पुत्र लक्ष्मण दास, निवासी सकडयालू, मौजा बोहन, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में नाम दुरुस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र।

यह प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री चन्दा राम पुत्र लक्ष्मण दास, निवासी सकडयालू, मौजा बोहन, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर निवेदन किया है कि उसका नाम महाल सकडयालू, मौजा बदोली, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में चन्दा पुत्र लक्ष्मण दास दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है। वास्तव में उसका सही नाम चन्दा राम पुत्र लक्ष्मण दास है। अब प्रार्थी अपना नाम महाल सकडयालू, मौजा बदोली, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में चन्दा पुत्र लक्ष्मण दास के बजाए चन्दा राम पुत्र लक्ष्मण दास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 11–05–2026 सुबह 2.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

In the court of Assistant Collector 1st Grade and Executive Magistrate Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Mr./Mrs./Ms. Savita Kumari d/o Late Devi Lal, r/o Village Kalyara, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The Gereral Public
2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.
4. The Registrar, (Birth & Death)-*cum*-Panchayat Secretary, Concerned G.P.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Savita Kumari d/o Late Devi Lal, r/o Village Kalyara, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 27–11–1999 को गांव कुल्यारा, डा0 नागनपट्ट, तहसील धर्मशाला में हुआ था परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / संबधित ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु पंजीकृत न है। अतः जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Savita Kumari d/o Late Devi Lal की जन्म तिथि 27–11–1999 पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक

09–05–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the court of Assistant Collector 1st Grade, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Case No- 712625/2026 Date of Institution: 03-03-2026

Case Type: Name Correction Peshi Date:

Amit Kumar s/o Late Suresh Kumar s/o Late Chandu Lal, r/o Village Ruhru, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) *..Applicant*

Vs

General Public *..Respondent*

प्रार्थना पत्रः नाम दुरुस्ती under Section 37 of HP Land Revenue Act, 1954.

Amit Kumar s/o Late Suresh Kumar s/o Late Chandu Lal, r/o Village Ruhru, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम Chandu व दादा का नाम Chanda Singh मोहाल रूहडू मौजा घरोह के राजस्व अभिलेख में दर्ज है जबकि उसके पिता का सही नाम Suresh Kumar व दादा का सही नाम Chandu Lal है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके Chandu *alias* Suresh Kumar व Chanda Singh *alias* Chandu Lal किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 11–05–2026 को दोपहर 3.00 बजे इस न्यायालय में असलातन व वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी का नाम मोहाल रूहडू में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the court of Assistant Collector 1st Grade, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Case No- 712612/2026 Date of Institution: 03-03-2026

Case Type: Name Correction Peshi Date: 11-05-2026

Hari Lal s/o Sorma Ram, r/o Village & P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) *..Applicant*

VS

General Public ..*Respondent*

प्रार्थना पत्रः नाम दुरुस्ती under Section 37 of HP Land Revenue Act, 1954.

Hari Lal s/o Sorma Ram, r/o Ward No. 2, Village & P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसका नाम Hari Ram s/o Sorma Ram मोहाल धार पटवार वृत्त सुधेड़ के राजस्व अभिलेख में दर्ज है जबकि उसका सही नाम Hari Lal s/o Sorma Ram है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके Hari Ram alias Hari Lal s/o Sorma Ram किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 11–05–2026 को दोपहर 3.00 बजे इस न्यायालय में असलातन व वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी का नाम मोहाल धार में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———

In the court of Assistant Collector 1st Grade, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Case No- 712698/2026 Date of Institution: 16-03-2026

Case Type: Name Correction Peshi Date:11-05-2026

Bangali Ram s/o Kiru Ram, r/o Village & P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ..*Applicant*

Vs

General Public ..*Respondent*

प्रार्थना पत्रः नाम दुरुस्ती under Section 37 of HP Land Revenue Act, 1954.

Bangali Ram s/o Kiru Ram, r/o Village & P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम Kiru s/o Dittu मोहाल Bagli के राजस्व अभिलेख में दर्ज है जबकि उसके पिता का सही नाम Kiru Ram s/o Dittu है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके Kiru *alias* Kiru Ram s/o Dittu किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 11–05–2026 को दोपहर 3.00 बजे इस न्यायालय में असलातन व वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी का नाम मोहाल Bagli में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

In the court of Assistant Collector 1st Grade Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Case No- 712666/2026 Date of Institution: 03-03-2026

Case Type: Name Correction Peshi Date:

Suresh Chand s/o Late Sh. Jai Chand, r/o Village & P.O. Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ..*Applicant*

Vs

General Public ..*Respondent*

प्रार्थना पत्रः नाम दुरुस्ती under Section 37 of HP Land Revenue Act, 1954.

Suresh Chand s/o Late Sh. Jai Chand, r/o Village & P.O. Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल उपरैड़ मौजा सकोह के राजस्व अभिलेख में Suresh Kumar s/o Late Sh. Jai Chand दर्ज है जबकि उसका सही नाम Suresh Chand s/o Late Sh. Jai Chand है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके Suresh Kumar *alias* Suresh Chand s/o Late Sh. Jai Chand किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 11–05–2026 को दोपहर 3.00 बजे इस न्यायालय में असलातन व वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी का नाम मोहाल उपरैड़ में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the court of Assistant collector-cum**-Naib Tehsildar, Bharoli, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

Smt. Shashi Kala d/o Late Sh. Roshan Lal, r/o Bharoli Kutiara, Mouza Bharoli, Sub Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application of correction of Name under Section 37(2) of Land revenue Act., 1954.

Whereas Smt. Shashi Kala d/o Late Sh. Roshan Lal, r/o Bharoli Kutiara, Mouza Bharoli, Sub Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37(2) of The Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as Aadhar Card, PAN Card, Jamabandi Parcha and Mark sheet of 10th class in the court of undersigned.
Wherein she stated that, she belongs to above mentioned address. Her name is written as Shashi Kanta in the land/revenue record of Mohal Bharoli Kutiara, Mouza Bharoli which is wrong. Her

original/correct name is "Shashi Kala". Therefore, she request to correct her name as "Shashi Kala" instead of Shashi Kanta in the revenue record of Mohal Bharoli Kutiara, Sub Tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant, may submit his/her objection in writing to this court before 12-05-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 16-04-2026.

seal. Sd/-

Assistant collector-cum-Naib Tehsildar,
Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Vipashit Sood aged 29 years s/o Sh. Vipan Kumar Sood, r/o Village Ward No. 6 Bohan, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.

2. Pooja Rawat aged 29 years d/o Sh. Joginder Singh, r/o Village 62, Type Sector-2, Naya Nangal, Rupnagar Punjab 140 126. .. *Applicants.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application U/S 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 24-11-2025 at Village 62, Type Sector-2, Naya Nangal, Rupnagar Punjab and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 16-05-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 16-05-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this day 4th Day of April 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Kapil Dev aged 39 years s/o Sh. Kali Dass, r/o Village Bohan, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.

2. Preetee aged 28 years d/o Sh. Gireesh Kumar, r/o Kishanpur Trivani Colony, Ramghat Road, Post Office & Tehsil Aligarh, Distt. Aligarh (U.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application U/S 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 28-03-2026 at Mandir Mata Nagni, Bhatti, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 16-05-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 16-05-2026 at 11.00 A.M. will not entertain by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this 4th Day of April 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

In the court of Assistant collector-cum**-Naib Tehsildar, Bharoli, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

Case No: 822276/26 Next Hearing Date: 21-05-2026

Smt. Asha Sharma w/o Sh. Subhash Chand, r/o Ambotu, P.O. & Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application of correction of Name under Section 37(2) of Land revenue Act., 1954.

Whereas Smt. Asha Sharma w/o Sh. Subhash Chand, r/o Ambotu, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37(2) of The Land

Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as Aadhar Card, PAN Card and Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein she stated that, she belongs to above mentioned address. Her name is written as Asha Dutta in the land/revenue record of Mohal Ambotu, Mouza Bharoli which is wrong. Her original/correct name is "Asha Sharma". Therefore, she request to correct her name as "Asha Sharma" instead of Asha Dutta in the revenue record of Mohal Ambotu, Sub Tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant, may submit his/her objection in writing to this court before 20-05-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 21-04-2026.

seal. Sd/-

Assistant collector-cum-Naib Tehsildar,
Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Surinder Kumar aged 66 years s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Kalru Kalan, P.O. Kathog, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.

2. Asha Devi aged 59 years d/o Sh. Uttam Chand, r/o V.P.O. Guler, Tehsil Haripur, Distt. Kangra H.P. . .*Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application U/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 25-04-1987 at Village Kalru Kalan, P.O. Kathog, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 26-05-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 26-05-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this 17th Day of April 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Pankaj Kumar aged 34 years s/o Sh. Makhan Singh, r/o Village Sunehtar, P.O. Gagruhi, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

2. Jyoti Kumari aged 18 years d/o Sh. Mithun Ram, r/o Village Bhelwn, Ward No. 9, P.O. Ajgeba, Distt. Saharsa (Bihar) . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application U/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 23-12-2025 at Village Bhelwn, Ward No. 9, P.O. Ajgeba, Panchayat Ajgaiba, Distt. Saharsa (Bihar) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 28-05-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 28-05-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this 17th Day of April 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Rahul Roy aged 29 years s/o Sh. Prittam Singh, r/o Village Ward No.2, Sihorbala, P.O. Bhatwain, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.).

2. Tamanna aged 21 years d/o Sh. Tota Ram, r/o Village Basantpur, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) . .*Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.(Intended Marriage)

The above applicants have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intentd to be solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 28-05-2026 at 11:00 A.M. The objection(s) after 28-05-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered according as per the law prescribed.

Issued on this 17th Day of April 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.

ब अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 05 / 2026 तारीख पेशी : 11—05—2026
उनवान मुकद्दमा :—

गुडडी देवी पुत्री श्री भिच्छू राम, हाल पता पत्नी कश्मीर सिंह गांव और डा० दयोट, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा (हि०प्र०)। ..... वादिया।

बनाम

आम जनता। ..... प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जरे धारा 13(3) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त वादिया गुडडी देवी पुत्री श्री भिच्छू राम, हाल पता पत्नी कश्मीर सिंह गांव और डा0 दयोट, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा हि० प्र० ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 05–02–1967 को गांव राजगुन्धा, डा० बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुआ है। वादिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मुलथान को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया का जन्म दिनांक 05–02–1967 ग्राम पंचायत मुलथान के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–05–2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 07 / 2026 तारीख पेशी : 11–05–2026
उनवान मुकद्दमा :–

लुदरी देवी पुत्री श्री गोरखू, हाल पता पत्नी प्रीतम चन्द गांव तरमेहड, डा0 लोहारडीं, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। वादिया।

बनाम

आम जनता। प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जरे धारा 13(3) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त वादिया लुदरी देवी पुत्री श्री गोरखू, हाल पता पत्नी प्रीतम चन्द गांव तरमेहड, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1959 को गांव जुधार, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुई है। वादिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लुआई को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तिहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया का जन्म दिनांक 01–07–1959 ग्राम पंचायत लुआई के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–05–2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर

अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 04 / 2026 तारीख पेशी : 11–05–2026
उनवान मुकद्दमा :–

अश्वनी कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम, गांव बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। वादी।

बनाम

आम जनता। प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जरे धारा 13(3) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त अश्वनी कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम, गांव बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसकी माता राजो देवी की मृत्यु दिनांक दिनांक 28–09–2010 को गांव राजगुन्धा, डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुई है। वादी की माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बड़ाग्रां को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी की माता राजो देवी की मृत्यु दिनांक 28–09–2010 ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–05–2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 06 / 2026 तारीख पेशी : 11–05–2026
उनवान मुकद्दमा :–

प्रेम कुमार पुत्र श्री सीता राम, गांव अन्दरली–मलाह, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। वादी।

बनाम

आम जनता। प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जरे धारा 13(3) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त वादी प्रेम कुमार पुत्र श्री सीता राम, गांव अन्दरली–मलाह, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा हि० प्र० ने प्रार्थना की है कि उसके भाई की मृत्यु दिनांक दिनांक 04–02–2025 को गांव अन्दरली–मलाह, डा० लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुई है। वादी के भाई की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पोलिंग को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी के भाई की मृत्यु तिथि 04–02–2025 ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–05–2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब **अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 708654 / 2026 तारीख पेशी : 11–05–2026
उनवान मुकद्दमा :–

रोष कुमार पुत्र श्री रघुनाथ, गांव राजगुन्धा, डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता। प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जरे धारा 37(1) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकदमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी रोष कुमार पुत्र श्री रघुनाथ, गांव राजगुन्धा, डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल राजगुन्धा और कुकड़गुन्धा पटवार वृत राजगुन्धा तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में शेष राम पुत्र श्री रघुनाथ दर्ज किया गया है जो कि गलत है, जबकि वादि का नाम वादी के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड और परिवार रजिस्टर में रोष कुमार पुत्र श्री रघुनाथ दर्ज है जो सही व दुरूस्त है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में रोष कुमार पुत्र श्री रघुनाथ दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–05–2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में शेष राम उर्फ रोष कुमार पुत्र श्री रघुनाथ दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

Before the District Registrar (Marriages)-cum**-Additional Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Shubham Tandon s/o Sh. Sumer Kumr, r/o House No. 337, Ward No. 11, Shashtri Nagar, P.O. Dhalpur Kullu, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Smt. Kanta Devi d/o Sh. Laje Ram, r/o Village Kashmati, P.O. Bhuthi, Tehsil & District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Shubham Tandon s/o Sh. Sumer Kumr, r/o House No. 337, Ward No. 11, Shashtri Nagar, P.O. Dhalpur Kullu, Tehsil & District Kullu, H.P. & Smt. Kanta Devi d/o Sh. Laje Ram, r/o Village Kashmati, P.O. Bhuthi, Tehsil & District Kullu, H.P. have filed an application alongwith the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 25-05-2025, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchayat Kalehali, in Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 16th April, 2026.

Seal. Sd/-
(ASHWANI KUMAR),
District Registrar (Marriages)-cum-*ADC,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

Before the District Registrar (Marriages)-cum**-Additional Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Nirat Ram s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Kalu Ruaad, P.O. Neoli, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Smt. Neetu d/o Sh. Suresh Chand, r/o V.P.O. Kais, Tehsil & District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Nirat Ram s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Kalu Ruaad, P.O. Neoli, Tehsil & District Kullu, H.P. & Smt. Neetu d/o Sh. Suresh Chand, r/o V.P.O. Kais, Tehsil & District Kullu, H.P. have filed an application alongwith the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 27-11-2025, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchayat Chatani, in Tehsil Kullu, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 21st April, 2026.

Seal. Sd/-
(ASHWANI KUMAR),
District Registrar (Marriages)-cum-*ADC,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Mayank Sharma s/o Sh. Rajeev Sharma, r/o Himalayan Vista Cottage behind Chandermukhi Cottage Aleo New Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

2. Ms. Hitomi Sharma d/o Sh. Hiroshi Kume, r/o 1-8, Chuo Town City Iwakura, Nationality Japan Passport No. TM1941083.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Notice under Special Marriage Act.

Sh. Mayank Sharma s/o Sh. Rajeev Sharma, r/o Himalayan Vista Cottage behind Chandermukhi Cottage Aleo New Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Hitomi Sharma d/o Sh. Hiroshi Kume, r/o 1-8, Chuo Town City Nationality Japan Passport No. TM1941083 have filed and application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 01-12-2025 and requested to register the same under Special Marriage Act, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal on the court today on 17th April, 2026.

Seal. Sd/-
(GUNJEET SINGH CHEEMA),
Mrriage Officer-cum-SDM,
Manali, District Kullu (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 80469 / 2026 दिनांक मजरूआ : 08–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्री दीपक राज पुत्र श्री कृश्न लाल, निवासी गांव कोयल, डाकघर कोयल, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री दीपक राज पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी गांव कोयल, डाकघर कोयल, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में दिपक कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम दीपक राज पुत्र श्री कृष्ण लाल है। ग्राम पंचायत गडेझ के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान–पत्र में दीपक राज दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में दिपक कुमार के स्थान पर दीपक राज दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी गडेझ में दिपक कुमार के स्थान पर दीपक राज पुत्र कृष्ण लाल दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस

अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 804611 / 2026 दिनांक मजरूआ : 08–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्री मोहिन्दर चौहान पुत्र श्री कुम्भ दास, निवासी गांव घोरला, डाकघर तान्दी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री मोहिन्दर चौहान पुत्र श्री कुम्भ दास, निवासी गांव घोरला, डाकघर तान्दी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में महेन्दर सिंह पुत्र श्री कुम्भ दास लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम मोहिन्दर चौहान पुत्र कुम्भ दास है। ग्राम पंचायत तान्दी के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान–पत्र में मोहिन्दर चौहान दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में महेन्दर सिंह के स्थान पर मोहिन्दर चौहान पुत्र श्री कुम्भ दास दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में महेन्दर सिंह के स्थान पर मोहन्दर चौहान पुत्र श्री कुम्भ दास दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 804610 / 2026 दिनांक मजरूआ : 06–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्री अनुज पुत्र श्री हेम चन्द, निवासी गांव मोईन, डाकघर निरथ, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री अनुज पुत्र श्री हेम चन्द, निवासी गांव मोईन, डाकघर निरथ, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में अक्शू राम पुत्र श्री हेम चन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम अनुज पुत्र श्री हेम चन्द है। ग्राम पंचायत देरहा के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान–पत्र में अनुज दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख नित्थर में अक्शू राम पुत्र हेम चन्द के स्थान पर अनुज दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में अक्शू राम के स्थान पर अनुज पुत्र श्री हेम चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह ईश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 80467 / 2026 दिनांक मजरूआ : 08–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्री पवन कुमार पुत्र निरजंन दास, निवासी गांव मल्था, डाकघर दुराह, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री पवन कुमार पुत्र निरजंन दास, निवासी गांव मल्था, डाकघर दुराह, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में पवन लाल लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम पवन कुमार पुत्र श्री निरजंन दास है। ग्राम पंचायत दुराह के रिकार्ड, पैन कार्ड तथा पहचान–पत्र में पवन कुमार दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में पवन लाल के स्थान पर पवन कुमार दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में पवन लाल के स्थान पर पवन कुमार पुत्र निरजंन दास दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 80468 / 2026 दिनांक मजरूआ : 08–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्रीमती नारकली पत्नी श्री कमल चन्द, निवासी गांव शारवी, डाकघर शारवी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती नारकली पत्नी श्री कमल चन्द, निवासी गांव शारवी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में कमला नन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम कमल चन्द है। ग्राम पंचायत शिल्ही के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान–पत्र में कमल चन्द दर्ज है। अब प्रार्थिया ने अपने पति का नाम राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में कमला नन्द के स्थान पर कमल चन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में कमला नन्द के स्थान पर कमल चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर

अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी शिल्ही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह ईश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 804613 / 2026 दिनांक मजरूआ : 08–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्री जिया राम पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव ईश्वा, डाकघर घाटू, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री जिया राम पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव ईश्वा, डाकघर घाटू, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में जिया लाल लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम जिया राम पुत्र श्री दिले राम है। ग्राम पंचायत गमोग के रिकार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान–पत्र में जिया राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में जिया लाल के स्थान पर जिया राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में जिया लाल के स्थान पर जिया राम पुत्र दिले राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 80466 / 2026 दिनांक मजरूआ : 08–04–2026 तारीख पेशी : 08–05–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

श्री प्रताप सिंह पुत्र सालिग राम, निवासी गांव डपलाड, डाकघर शारवी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र u/s 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री प्रताप सिंह पुत्र सालिग राम, निवासी गांव डपलाड, डाकघर शारवी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया। जिसमें वर्णन किया गया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में प्रताप चन्द लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि उसका नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री सालिग राम है। ग्राम पंचायत घाटू के रिकार्ड, बैंक रिकार्ड तथा पहचान–पत्र में प्रताप सिंह दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में प्रताप चन्द के स्थान पर प्रताप सिंह दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी घाटू में प्रताप चन्द के स्थान पर प्रताप सिंह पुत्र सालिग राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो असालतन / वकालतन तारीख पेशी 08–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती बन्दना देवी पुत्री श्री मान सिंह, निवासी पिछला ग्रामंग, डाकघर शालंग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

.

श्रीमती बन्दना देवी पुत्री श्री मान सिंह, निवासी पिछला ग्रामंग डाकघर शालंग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र

जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कुल्लू के पत्र क्रमांक HFW-KLU (Delayed Birth and Death) 2026/4329, दिनांक 07 मार्च, 2026 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत डून्खरीगाहर अन्य कागजात सहित इस इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि इनका जन्म दिनांक 01–07–1985 को हुआ है, अब वह अपने जन्म की प्रविष्टि उक्त ग्राम पंचायत डून्खरीगाहर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को उजर / एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 11–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती बन्दना देवी पुत्री श्री मान सिंह की जन्म तिथि 01–07–1985 को ग्राम पंचायत डून्खरीगाहर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगें।

आज दिनांक 10–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसीलदार कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

राजन पाल पुत्र श्री भीम सेन, निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जाति दुरुस्ती दर्ज करने बारे।

राजन पाल पुत्र श्री भीम सेन, निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि आवेदक तथा आवेदक के परिवार की जाति महाल कारिंग, जिला लाहौल–स्पिति में जाति ब्राहमण गोत स्वांगला दर्ज कागजात माल है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल वशिष्ट में आवेदक की जाति राजपूत उपजाति नामालूम दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। जिसे अब वह दुरुस्त करवाना चाहते हैं। जिसकी छानबीन क्षेत्रीय राजस्व अभिकरण द्वारा करवाई गई मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय अभिकरण से पाया गया है कि प्रार्थी के दादा श्री भगत राम पुत्र लच्छी राम की जाति महाल कारिंग, कोठी वारपा, तहसील केलोंग की मिसल हकियत वर्ष 1950–51 में कौम ब्राहमण व गोत स्वांगला दर्ज है तथा जाति दुरुस्ती दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को राजन पाल पुत्र श्री भीम सेन तथा समस्त परिवारगण की जाति दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12–05–2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख महाल वशिष्ट में जाति दुरुस्ती दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

सुनीता कुमारी पुत्री श्री पलदन टन्डूप, निवासी गांव शुरू, डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुनीता कुमारी पुत्री राम बहादुर मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव शुरू, डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 08–05–2017 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत प्रीणी के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि सुनीता कुमारी पुत्री राम बहादुर की जन्म तिथि 08–05–2017 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सुनीता कुमारी पुत्री राम बहादुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–05–2026 को या इसे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत प्रीणी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

––––––––

In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-**Naib Tehsildar, Shimla (R),**
District Shimla (H.P.)

Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Charan Dass, Village Panti, P.O. Rouri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Charan Dass, r/o Village Panti, P.O. Rouri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an applicantion alongwith affidavit in the court of undresigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her named Smt. Shakuntla Devi d/o Charan Dass Village Panti, P.O. Rouri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the Secy,-*cum*-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Dudhalti, Tehsil and District Shimla.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Shakuntla Devi	Self	13-06-1948

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in to the Secy,-*cum*-Registrar, (Birth & Death), Gram Panchayat Dudhalti, Tehsil and District Shimla (H.P.) may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 08-04-2026 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate cum-Naib,
Tehsildar Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Sh. Mahesh Ram s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Shari, P.O. Anji Brahmana, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Mahesh Ram s/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Shari, P.O. Anji Brahmana, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has submitted an applicantion alongwith a Non-Availability Certificate issued by the Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Thari, Shimla, Distt. Shimla (H.P.) before this court under Section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969, seeking permission to enter date of birth as 16-10-1990 in the records of the Registrar, Births & Deaths, Gram Panchayat Thari, District Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Mahesh Ram	Self	16-10-1990

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions if any person has any objection/claim with regard to the entry of the date of birth of the above named person in the Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Thari Shimla, District Shimla (H.P.) he/she may file such objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette. Failing which, the matter shall be proceeded with and necessary orders shall be passed in accordance with law.

Issued today 27-03-2026 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Daya Nand Sharma, Executive Magistrate Grade 2nd, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the mattre of :

Smt. Sharda Devi d/o Sh. Kaunl Ram, r/o Village Sainji, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application Under Section 13(3) of the birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Sharda Devi d/o Sh. Kaunl Ram, r/o Village Sainji, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter Date of Birth of her Sharda Devi (20-07-1974) in the record of Birth Register, of Gram Panchayat Samoli.

Now therefore objection are invited from the general public, that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Birth of Sharda Devi they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 04 April, 2026.

Seal. Sd/-
(DAYA NAND SHARMA),
Executive Magistrate Grade 2nd,
Rohru, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :	किस्म मुकद्दमा :	तीराख दायर	तारीख फैसला
50 / 2025	दुरुस्ती इन्द्राज	23—04—2025	

मुकद्दमा शीर्षः सर्व0 श्री / श्रीमती पान्डु रामए जीवन सिंहए कुलदीप एंव जयवन्ती पुत्रगण / पुत्रीगण स्त्यापाल निवासी गांव व डा0 यंगपा, तह0 भावा नगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) हालाबाद निवासी झाखडी तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरूस्ती इन्द्राज बारे।

सर्व0 श्री / श्रीमती पान्डु राम, जीवन सिंह, कुलदीप एंव जयवन्ती पुत्रगण / पुत्रीगण स्त्यापाल निवासी गांव यंगपा, तह0 भावा नगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) हालाबाद निवासी झाखडी तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0प्र0) ने जेर धारा 37 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मौहाल झाखडी के राजस्व कागजात में पिता का नाम सनम देवी पुत्र यंग छेरिंग पुत्र जैऊ गलत दर्ज हुआ है के स्थान पर असल नाम मुताबिक दसतावेजो के सत्यापाल पुत्र यंग छेरिंग दुरुस्त करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है जिस सन्दर्भ में मिसल क्षेत्रीय कानूनगो झाखडी को भेजी गई और मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो से इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाईयों से पाया मोहाल झाखडी राजस्व कागजात माल जमाबंदी वर्ष 2020–2021 खेवट नम्बर 9 में सनम देव पुत्र यंग छेरिंग पुत्र जैऊ मुश्त्ररका मालिक माल कागजात उर्ज है। मौका छानबीन के दौरान हाजिर बाशिंन्दगान देह न ब्यान किया कि सनम देव पुत्र यंग छेरिंग का दुसरा नाम सत्यापाल है। सत्यापाल और सनम देवी एक ही व्यक्ति है। मुताबिक मौका छानबीन, ब्यानात बाशिंदगान देह के वादीगण के पिता का असल नाम राजस्व कागजात माल मौहाल झाखडी में यनम देव पुत्र यंग छेरिंग पुत्र जैऊ के स्थान पर सत्यापाल पुत्र यंग छोरिंग पुत्र जैऊ दुरुस्त किया जाना वाजिब है। मौके पर ब्यानात कलमबद्वाव किया गया जो शामिल मिसल है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिगण पान्डु रामए जीवन सिंहए कुलदीप एंव जयवन्ती पुत्रगण / पुत्रीगण सत्यापाल निवासी गांव यंगपा, तह0 भावा–नगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) हालाबाद निवासी झाखडी तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0प्र0) के पिता का असल नाममुताबिक दस्तावेजों के सनम देव पुत्र यंग छेरिंग पुत्र जैऊ के स्थान पर सत्यापाल पुत्र यंग छेरिंग पुत्र जैऊ दुरुस्त करने बारे किसी भी सगे–सम्बन्धी / रिश्तेदारों को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के उपरान्त आगामी तारीख पेशी मिति 15–05–2026 को अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30–03–2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Smt. Nirmala d/o Lt. Sh. Ganga Ram, r/o Village Kyar, P.O. Chailly, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Nirmala d/o Lt. Sh. Ganga Ram, r/o Village Kyar, P.O. Chailly, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has submitted an applicantion alongwith a Non-Availability Certificate issued by the Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Chailly Shimla, Distt. Shimla (H.P.), before this court under Section 13(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969, seeking permission to enter date of birth as 17-01-1966 in the records of the Registrar, Births & Deaths, Gram Panchayat Chailly, District Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Nirmala	Self	17-01-1966

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions if any person has any objection/claim with regard to the entry of the date of birth of above named person in the Registrar, records of the Birth & Death, in Gram Panchayat Chailly Shimla, District Shimla (H.P.) he/she may file such objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette. Failing which, the matter shall be proceeded with and necessary orders shall be passed in accordance with law.

Issued today 10-04-2026 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Sh. Lekh Raj s/o Sh. Dila Ram, r/o V.P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.)
. . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Lekh Raj s/o Sh. Dila Ram, r/o V.P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter Date of Death of his mother Smt. Bimla Devi (03-04-1992) in the record of Birth Register of Gram Panchayat Karasa.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the Date of Death of Smt. Bimla Devi (03-04-1992) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this April, 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)

1. Arun Michael Dean, age 48 years s/o Sh. Sunil Irwin Deans, r/o Deans Cottage, Hari Nagar Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 005.

2. Goldy William aged 49 years d/o Sh. G.S. William, r/o B-33, Shishu Gyan Mandir KE Samne, Azad Nagar, Bhilwara, P.O. Bhilwara, District Bhilwara, Rajasthan-311 001 at present Goldy Dean w/o Arun Michael Dean, age 48 years s/o Sh. Sunil Irwin Deans, r/o Deans Cottage, Hari Nagar Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Registration of marriage under Section 15 os the Special Marriage Act, 1954

Arun Michael Dean, age 48 years s/o Sh. Sunil Irwin Dean, r/o Deans Cottage, Hari Nagar Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Goldy william aged 49 years d/o Sh. G.S. William, r/o B-33, Shishu Gyan Mandir KE Samne, Azad Nagar, Bhilwara, P.O. Bhilwara, District Bhilwara, Rajasthan at present Goldy Dean w/o Arun Michael Dean, age 48 years s/o Sh. Sunil Irwin Dean, r/o Deans Cottage, Hari Nagar Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have filed application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 30-05-2003 and are living togther as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publuication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 20-04-2026.

Seal.

Sd/-
Additional District Registrar of Marriages-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural) District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 12 / IX / 2023 तारीख दायर : 29–13–2023 तारीख पेशी : 10–03–2026

1. श्री मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सागर दास, निवासी ग्राम काशा, डा0 काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 2. श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सागर दास, निवासी ग्राम काशा, डा0 काशापाठ,

उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 3. श्री दीवान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सागर दास, निवासी ग्राम काशा, डा0 काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 4. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सागर दास, निवासी ग्राम काशा, डा0 काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 5. श्रीमती पुरु देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सागर दास, निवासी ग्राम काशा, डा0 काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला,

.. वादी।

बनाम

1. श्री सुधीर पुत्र स्वर्गीय श्री मोलक राज, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 2. सत्या देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मोलक राज, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 3. मान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रतन दास, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 4. चंदरमणि पत्नी श्री रतन दास, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 5. इंदिरा पुत्री स्वर्गीय श्री रवि चंद, पत्नी श्री हेम राज, निवासी ग्राम जोगनी, डाकखाना जोगनी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, 6. विमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रवि चंद,, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 7. कमला नंद पुत्र स्वर्गीय श्री सूरज प्रकाश, नवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 8. भगत सिंह स्वर्गीय श्री सूरज प्रकाश, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 9. गीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सूरज प्रकाश, पत्नी श्री अशोक कुमार, निवासी ग्राम जघोरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, 10. सुनीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सूरज प्रकाश, पत्नी श्री जगदीश, निवासी ग्राम व डाकखाना फांचा, तहसील रामपुर, जिला शिमला, 11. प्रेम कली पत्नी स्वर्गीय श्री सूरज प्रकाश, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 12. अमर दास पुत्र स्वर्गीय श्री तुली, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 13. साई राम उर्फ सागर शेर पुत्र स्वर्गीय श्री तुली, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 14. पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री तारा चंद, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 15. कुमारी मधुबाला पुत्री स्वर्गीय श्री तारा चंद, पत्नी श्री तिलक राज, निवासी ग्राम पाथ, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 16. गुड्डी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री तारा चंद, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 17. पोशू राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 18. बंसी लाल पंत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 19. संसारी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री केदार सिंह, निवासी ग्राम नोर, डाकखाना शमरी, तहसील निरमंड, जिल्ला कुल्लू, 20. प्रकाश चंद पुत्र स्वर्गीय श्रीमती चरण दासी, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 21. केशव राम पुत्र स्वर्गीय श्रीमती चरण दासी, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 22. नीलमा देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती चरण दासी, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, 23. निशा देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती चरण दासी, पत्नी श्री योगेंद्र निवासी ग्राम रुपी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, 24. शीला देवी पुत्री स्वर्गीय श्री थारू, पत्नी श्री चूडा राम, निवासी ग्राम पाथ, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 25. नर्वदा देवी पुत्री श्री हंसराज, पत्नी श्री मान सिंह, निवासी ग्राम बासा, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 26. जिया लाल पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम व डाकखाना दरकाली, उप –तहसील तकलेच, जिला शिमला, 27. कुमारी तारु पुत्री श्री प्रेम सिंह, पत्नी श्री गोपाल, निवासी ग्राम गोपालपुर, डाकखाना कारतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला, 28. कुमारी मुनि पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम सेरी मझली, डाकखाना तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 29. शिव लाल पुत्र स्वर्गीय श्री शोजू, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 30. बुध राम पुत्र स्वर्गीय श्री गिउ, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 31. सुमित्रा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री गिउ, पत्नी श्री ग्राबी सरण, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 32. थाऊ संतान स्वर्गीय श्री गिउ, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 33. थाऊ संतान स्वर्गीय श्री गिउ, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 34. उषा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री देवकू, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 35. दसोदा पुत्री स्वर्गीय श्री देवकू, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 36. ब्रेस्टू देवी पत्नी स्वर्गीय श्री देवकू, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 37. डवलू पुत्र स्वर्गीय श्री शिव लाल, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 38. चंद्रू देवी पुत्री स्वर्गीय श्री शिव लाल, निवासी ग्राम काशा, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला,

39. तेजू राम पुत्र स्वर्गीय श्रीमती सोपरी, निवासी ग्राम पाथ, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 40. गियानू देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती सोपरी, निवासी ग्राम पाथ, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 41. पुष्पा देवी पत्नी श्री मोहन सिंह, निवासी गांव बरकल, डाकघर मुनिश बहाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, 42. मारी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कुंदन लाल, निवासी ग्राम पाट, डाकखाना काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला।

प्रार्थना–पत्र जेरधारा 123 हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम बावत खाता मुश्तरिका, खाता–खतौनी न0 62 / 207 ता 215, कित्ते 62, रकबा तादादी 07–51–06 है0 रकबा तादादी 07–51–06 है0 वाका चक काशा, उप–तहसील तकलेच।

प्रार्थना–पत्र श्री मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सागर दास, निवासी ग्राम काशा, डा0 काशापाठ, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 अन्तगर्त तकसीम हेतु आरजी खाता–खतौनी न0 62 / 207 ता 215, कित्ते 62, रकबा तादादी 07–51–06 है0 रकबा तादादी 07–51–06 है0 वाका चक काशा, उप–तहसील तकलेच बारे प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी न0 17 गुमशुदा है, 34,38 मृतक है, इनके जायज वारसानों व प्रतिवादी संख्या 35,36 व 41 को साधारण तरीके से को समन की तमिल साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा उपरोक्त गुमशुदा व मृतक प्रतिवादियों के जायज वरसनों तथा प्रतिवादी संख्या 35,36 व 41 को सूचित किया जाता है कि यदि मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर / एतराज हो तो स्वंय व लिखित तौर पर दिनांक 15–05–2026 को अपराहन 2.00 बजे तक उप–तहसील तकलेच में आकर एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 80539 / 2026 तारीख दायर : 03–02–2026

श्री संत लाल पुत्र श्री सणीकू, निवासी गांव सेरी मझाली, डाकघर व उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

दरखवास्त (नाम दुरुस्ती)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संत लाल पुत्र श्री सणीकू, निवासी गांव सेरी मझाली, डाकघर व उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) महाल सेरी मझाली में उनका नाम त्रुटिवश सन्तराम दर्ज हो गया है।

पटवारी हल्का व क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा की गई छानबीन, मौका रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों (आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर और पंचायत रिकार्ड) के अनुसार इनका सही नाम संत लाल पुत्र श्री सणीकू है।

अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम सन्तराम को बदलकर सही नाम संत लाल किया जा रहस है। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित समय के भीतर संबंधित तहसील कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

Before the Court of Sh. Surinder Chandel, Executive Magistrate & Naib-Tehsildar Mamlig Sub-Tehsil Mamlig, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. : 04/2026 Dated of Institution : 12-02-2026

Smt. Vidhya Devi d/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Bhalawag, Post Office Janedghat, Tehsil Junga, District Shimla, H.P.-173 217.

Versus

General Public

Application under section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 9(3) of the Himachal Pradesh Regisration of Births and Deaths Rules, 2003.

Smt. Vidhya Devi d/o Shri Sukh Ram and w/o Late Shri Rajesh, r/o Village Bhalawag, Post Office Janedghat, Tehsil Junga, District Shimla, H.P. Applicant to get her date of birth registered as 03-04-1985 at her place of birth in Gram Panchayat Chhausha, Sub-Tehsil Mamlig.

Therefore, notice is hereby given to the general public that Smt. Vidhya Devi wishes to register her date of birth as 03-04-1985 in the birth register of Gram Panchayat Chhausha. If any person has any objection regarding this registration, he/she may submit the objection in writing or orally, personally or through counsel, before the undersigned court within 30 days from the date of publication of this notice.

If no objection is received within the stipulated period, appropiate orders shall be passed in this matter as per rules.

Issued under my hand and seal of the Court on this 06th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-
(SURINDER CHANDEL),
Executive Magistrate Mamlig,
District Solan (H.P.).

In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Sh. Lagan Singh s/o Late Sh. Mohan Singh, r/o Village Molo Kalan, P.O. Oachghat, Tehsil and District Solan, (H.P.) and Smt. Shanti Devi dauthter of Sh. Ram Rattan, resident of Village Dharseri, P.O. Bharti, Tehsil and District Solan, (H.P.) and wife of Shri Lagan Singh, after marriage resident of Village Molo Kalan, P.O. Oachghat, Tehsil and District Solan, (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 12-12-2000 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Sh. Lagam Singh and Smt. Shanti Devi were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of duly solemnized between the above parties *i.e.* Sh. Lagam Singh and Smt. Shanti Devi, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM, HPAS),
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री प्रकाश पुत्र श्री रामभज, निवासी ग्राम झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त जेर–धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रकाश पुत्र श्री रामभज, निवासी ग्राम झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो, उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-15743, dated 17-03-2026 जो इस

कार्यालय में कार्यकारी दण्डाधिकारी शिल्लाई के पत्र क्रमांक त0शि0 / रीडर / 2025–165, दिनांक 06–04–2026 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 21–12–1990 को ग्राम पंचायत झकान्डो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जिसका रिकॉर्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुति की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकाश पुत्र श्री रामभज, निवासी ग्राम झकान्डो, ग्राम पंचायत झकान्डो की जन्म तिथि 21–12–1990 को ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खण्ड शिल्लाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 09–05–2026 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी प्रकाश पुत्र श्री रामभज की जन्म तिथि 21–12–1990 को ग्राम पंचायत झकान्डो, विकास खंड शिल्लाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

Before Sh. Ravinder Kumar Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Savita Devi d/o Sh. Prem Singh, r/o Village Gulabgarh, P.O. Kotribyas, G.P. Kundion, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Savita Devi d/o Sh. Prem Singh under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter no. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-10711 dated 21-11-2025 for entering her name and date of birth i.e. 01-07-1970 in the birth and death register of G.P. Kundion, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant registre of G.P. Kundion, Distt. Sirmaur H.P.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Savita Devi d/o Sh. Prem Singh, r/o Village Gulabgarh, P.O. Kotribyas, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or

before 16-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 16 day of April, 2026.

Sd/-
Seal. (RAVINDER KUMAR SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Ravinder Kumar Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Vakil s/o Sh. Hamid, r/o Rampurghat, Tehsil Paonta Sahib (G.P. Bhungarni), District Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Shri Vakil s/o Sh. Hamid, r/o Rampurghat under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter no. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-12343 dated 31-12-2024 for enterimg his daughter name Jinat and her date of birth *i.e.* 15-04-2021 in the birth and death register of G.P. Bhungarni, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant registre of G.P. Bhungarni, Distt. Sirmaur H.P.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Jinat d/o Sh. Vakil, r/o Rampurghat, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 16-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this day of 2026.

Seal. Sd/-
(RAVINDER KUMAR SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

अदालत श्री रविन्द्र कुमार सिसोदिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 8030100 / 2026 दायर तिथि : 13–03–2026

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री नसीब चन्द, निवासी ग्राम जोहडो, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–भू–राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री नसीब चन्द, निवासी ग्राम जोहडो, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फीयां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकल जमाबन्दी वर्ष 2022–2023 मौजा जोहडो व परिवार रजिस्टर की नकल सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त पुरुवाला के मौजा जोहडो, तहसील पांवटा साहिब के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञान चन्द पुत्र ठुनिया दर्ज हो गया है, जिसे प्रार्थी अपने अन्य दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पुरुवाला के मौजा जोहडा में ज्ञान चन्द पुत्र ठुनिया की जगह सही नाम ज्ञान चन्द पुत्र ठुनिया उर्फ नसीब चन्द दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–05–2026 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किए गए।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

अदालत श्री रविन्द्र कुमार सिसोदिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 803082 / 2026 दायर तिथि

श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–भू–राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (ह0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फीयां, मृत्य प्रमाण–पत्र (स्व0 श्री जसबीर सिंह), हिमाचली प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, बैक पासबुक खाता प्रतिलिपि, नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त भांटावाली, मौजा उप सम्पदा नया केदारपुर, वर्ष 2016–17 व मोजा भांटावाली वर्ष 2020–21 व आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त भांटावाली के राजस्व ग्राम भांटावाली में प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता का नाम रणवीर सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम रणधीर सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह, जिसे प्रार्थी पटवार वृत्त भांटावाली के मौजा भांटावाली में रणवीर सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह की जगह सही नाम रणधीर सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–05–2026 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किए गए।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

अदालत श्री रविन्द्र कुमार सिसोदिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 803077 / 2026 दायर तिथि

श्री राम कुमार पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–भू–राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री राम कुमार पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फीयां, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैस व नकल जमाबन्दी वर्ष 2017–18 मौजा मोहक्मपुर नावदा व परिवार रजिस्टर की नकल सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त शिवपुर के मौजा मोहक्मपुर नावदा, तहसील पांवटा साहिब के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र तेजा दर्ज हो गया है, जिसे प्रार्थी अपने अन्य दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त शिवपुर मौजा मोहक्मपुर नावदा में राजकुमार पुत्र तेजा की जगह सही नाम राम कुमार पुत्र श्री तेजा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–05–2026 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किए गए।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

Before Sh. Ravinder Kumar Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Shyama Devi d/o Sh. Jalam Singh, r/o Village Dighali, P.O. Rajpur, G.P. Rajpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Shyama Devi d/o Sh. Jalam Singh under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-cum-chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter no. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-14834 dated 25-02-2026 for entering her date of birth *i.e.* 01-04-1981 in the birth and death register of G.P. Rajpur, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant registre of G.P. Rajpur, Distt. Sirmaur H.P.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Shyama Devi d/o Sh. Jalam Singh, r/o Village Dighali, P.O. Rajpur, G.P. Rajpur, Tehsil Paonta Sahib may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 17th day of April, 2026.

Seal. Sd/-
(RAVINDER KUMAR SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

———————

Before Sh. Ravinder Kumar Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Paramjeet Kaur d/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Bhungarni, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Paramjeet Kaur d/o Sh. Dhani Ram under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter no. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-16218 dated 27-03-2026 for entering her date of birth *i.e.* 01-07-1965 in the birth and death register of G.P. Bhungarni, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant registre of G.P. Bhungarni, Distt. Sirmaur H.P.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Paramjeet Kaur d/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Bhungarni, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 18th day of April, 2026.

Sd/-

Seal. (RAVINDER KUMAR SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : तारीख मजरूआ : तारीख फैसला :

उनवान मुकद्दमा.–निर्मला देवी पुत्री श्री राम स्वरूप व पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव पुरूवाला संतोषगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री राम स्वरूप व पत्नी श्री सुरजीत सिंह, निवासी गांव पुरूवाला संतोषगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी राजस्व ग्राम राजबन (पटवार वृत्त अजौली), परिवार नकल, आधार कार्ड, ब्यान हल्फीया व पहचान–पत्र (भारत निर्वाचन आयोग) सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है, कि मौजा राजबन में प्रार्थिया का नाम बबली देवी दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम निर्मला देवी पुत्री राम स्वरूप है, जिसे प्रार्थिया पटवार वृत्त अजौली के राजस्व ग्राम राजबन में अपने अन्य दस्तावेजों के मुताबिक निर्मला देवी पुत्री राम स्वरूप दर्ज करवाना चाहती है।

चूंकि उक्त प्रकरण बारे छानबीन क्षेत्रीय कर्मचारियों से करवाई गई तथा छानबीन में क्षीय कर्मचारियों द्वारा मुताबिक रिकोड दुरुस्ती हेतु सिफारिश की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–05–2026 को प्रातः 10 बजे तक या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि में आपित्त प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र निर्मला देवी पुत्री श्री राम स्वरूप व पत्नी श्री सुरजीत सिंह निवासी गांव पुरूवाला संतोषगढ़ पर नियमसनुसार कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————

CORRECTION OF NAME

I, Kusum Bhagra w/o Sh. Anil Kumar Bhagra, r/o 5/4 Kishore Bhawan, Near Hotel Samrat, Mall Road, G.P.O. Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that my name has been recorded in Aadhar Card as Kusum Bhagra and in some other documents my name has been entered as Kusum Sood. Whereas my correct name is Kusum Bhagra. All concerned please may note.

KUSUM BHAGRA
w/o Sh. Anil Kumar Bhagra,
r/o 5/4 Kishore Bhawan, Near Hotel Samrat,
Mall Road, G.P.O. Shimla,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

———————

CORRECTION OF NAME

I, Shanti Devi w/o Late Sh. Salku, r/o Village Gehal, P.O. Korag, Sub-Tehsil Haripurdhar, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Santi Devi w/o Sh. Salik Ram which is incorrect. Whereas my correct name is Shanti Devi w/o Sh. Salku. All concerned please note.

SHANTI DEVI
w/o Late Sh. Salku,
r/o Village Gehal, P.O. Korag,
Sub-Tehsil Haripurdhar, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar Sood s/o Sh. Jai Lal Sood, r/o 14/1, New Building Rakesh Bhawan, Near Gupta Cottage, Corstaphan Estate, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Rakesh Kumar to Rakesh Kumar Sood. I shall be known as Rakesh Kumar Sood for all purposes in future. All concerned please note.

RAKESH KUMAR SOOD
s/o Sh. Jai Lal Sood,
r/o 14/1, New Building Rakesh Bhawan,
Near Gupta Cottage, Corstaphan Estate, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Suresh Kumar s/o Sh. Ran Singh, r/o Village Dasakna, P.O. Korag, Sub-Tehsil Haripurdhar, District Sirmaur (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly entered in her Aadhar Card as Aadadhya whereas her correct name is Aaradhya. All concerned please note.

SURESH KUMAR
s/o Sh. Ran Singh,
r/o Village Dasakna, P.O. Korag,
Sub-Tehsil Haripurdhar, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pitamber Singh s/o Sh. Bhime Ram, r/o Village & P.O. Panjain, Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.) declare that I want to change my son's name from Gevansh Thakur to Rihan Thakur in Aadhar Card No. 4221 2406 5571. All concerned please note.

PITAMBER SINGH
s/o Sh. Bhime Ram,
r/o Village & P.O. Panjain,
Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kuldeep Sharma, Army No. 2691576M, Rank NK s/o Sh. Banshi Ram, r/o Village Joll, P.O. Jainagar, Sub-Tehsil Loharghat, Tehsil Ramshahar, District Solan (H.P.) declare that my name is entered as Kuldeep in my Army records. Whereas in all other government documents my name is entered as Kuldeep Sharma. My correct name is Kuldeep Sharma. This should be corrected. All concerned please note.

KULDEEP SHARMA
s/o Sh. Banshi Ram,
r/o Village Joll, P.O. Jainagar,
Sub-Tehsil Loharghat, Tehsil Ramshahar,
District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vimla Sharma (New Name) aged about 74 years w/o Sh. Khyali Ram, r/o Tehsil Jhandutta, Bala (124), Dahad, District Bilaspur (H.P.)-174 034 declare that I have changed my name from Bimla Sharma (Old Name) to Vimla Sharma (New Name). All concerned please note.

VIMLA SHARMA
w/o Sh. Khyali Ram,
r/o Tehsil Jhandutta, Bala (124),
Dahad, District Bilaspur (H.P.)-174 034.

CHANGE OF NAME

I, Namanjai s/o Sh. Jai Pal Singh, r/o Village Jakhroo, P.O. Solang, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Namanjai (Old Name) to Namanjai Chauhan (New Name). All concerned please note.

NAMANJAI
s/o Sh. Jai Pal Singh,
r/o Village Jakhroo, P.O. Solang,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Gian Singh s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Mehana, P.O. Shelapani, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that in Aadhar Card bearing No. 5066 8559 0349 my name is wrongly entered as Gyan Tanta which should be corrected as Gian Singh. Please correct this.

GIAN SINGH
s/o Sh. Ram Lal,
r/o Village Mehana, P.O. Shelapani,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar Sood s/o Sh. Jai Lal Sood, r/o 14/1, New Building Rakesh Bhawan, Near Gupta Cotage, Corstaphan Estate, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Dinesh Kumar to Dinesh Kumar Sood. I shall be known as Dinesh Kumar Sood for all purposes in future. All concerned please note.

DINESH KUMAR SOOD
s/o Sh. Jai Lal Sood,
r/o 14/1, New Building Rakesh Bhawan,
Near Gupta Cottage, Corstaphan Estate, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Paigam Ali s/o Sh. Ali Mohmmad, r/o Village Kiarla, P.O. Kedi, Up-Mahal Keyarla (131/2), District Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my son's name from Danish (Old Name) to Mohmmad Danish (New Name). All concerned please may note.

PAIGAM ALI
s/o Sh. Ali Mohmmad,
r/o Village Kiarla, P.O. Kedi,
Up-Mahal Keyarla (131/2),
District Shimla (H.P.)-171 210.

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Vekta s/o Sh. Moti Ram Vekta, r/o Janki Devi Niwas, Ward No. 7, Rahi Ghat, Theog (T), P.O. Theog, District Shimla (H.P.)-171 201 declare that I have changed my minor daughter's name from "Baby of Anchal" (Old Name) to Janvi (New Name). All concerned please may note.

RAJESH VEKTA
s/o Sh. Moti Ram Vekta,
r/o Janki Devi Niwas, Ward No. 7,
Rahi Ghat, Theog (T), P.O. Theog,
District Shimla (H.P.)-171 201.

CHANGE OF NAME

I, Manita Devi w/o Sh. Hanumant Choudhary, r/o V.P.O Massal, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my daughter's school record have been wrongly entered as Manita, whereas my correct name is Manita Devi. Concerned note.

MANITA DEVI
w/o Sh. Hanumant Choudhary,
r/o V.P.O Massal,
Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Soma Devi aged about 56 years w/o Sh. Ram Krishan, r/o Post Office Maloothi, Maloothi, Shimla, Himachal Pradesh-171 012 declare that my correct name is Soma Devi which is also entered in my Panchayat Record, but in Aadhar Card bearing No. 4261 9692 3409 my name is entered as Suma Devi be corrected as Soma Devi.

SOMA DEVI
w/o Sh. Ram Krishan,
r/o Post Office Maloothi, Maloothi,
Shimla, Himachal Pradesh-171 012.

CHANGE OF NAME

I, Surindra Devi w/o Sh. Man Singh aged 61 years, r/o Village Chandroli, P.O. Barour, Tehsil and Distt. Chamba (H.P.)-176 314 declare that I have changed my name as Surindra Devi w/o Man Singh (new name) instead of Surendra (old name). All concerned please may note.

SURINDRA DEVI
w/o Sh. Man Singh,
r/o Village Chandroli, P.O. Barour,
Tehsil and Distt. Chamba (H.P.)-176 314.

CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Late Sh. Chunni Lal, r/o Village Kyani, P.O. Kiani, Tehsil and Distt. Chamba (H.P.) declare that my correct name is Kamla Devi, but in my Aadhar Card No. 3066 8962 6033 it has been wrongly recorded as Kamlo. This may please be corrected to Kamla Devi. All concerned may note.

KAMLA DEVI
w/o Late Sh. Chunni Lal,
r/o Village Kyani, P.O. Kiani,
Tehsil and Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lakshay Gaur s/o Sh. Gopal Dass, r/o Village Ranguwal, P.O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) declare that the correct name of my father is Gopal Dass as per records of Aadhar Card, PAN Card and Birth Certificate but in my School Certificate wrongly written as Gopal Dass Sharma. Now, I want to get name of father corrected in school record as Gopal Dass.

LAKSHAY GAUR
s/o Sh. Gopal Dass,
r/o Village Ranguwal, P.O. Rajpura,
Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Sharma w/o Sh. Ram Krishan, Village Baghi, P.O. Devgarh Kotkhai, Shimla, Kotkhai, Himachal Pradesh-171 202 declare that I have changed my son's name from baby one of Priyanka (old name) to Atharv Sharma (new name). All concerned please may note.

PRIYANKA SHARMA
w/o Sh. Ram Krishan,
Village Baghi, P.O. Devgarh Kotkhai, ,
Shimla, Kotkhai, Himachal Pradesh-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Sundla Devi (New Name) w/o Sh. Mohan Lal, Reog (19), Shimla, Himachal Pradesh-171 202 declare that I have changed my name from Sudal (old name) to Sundla Devi (new name). All concerned please may note.

SUNDLA DEVI
w/o Sh. Mohan Lal,
Reog (19), Shimla,
Himachal Pradesh-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Akshay Kumar (New Name) s/o Sh. Shama Nand , Kiyari (106), Shimla, Himachal Pradesh-171 204 declare that I have changed my name from Akshu (old name) to Akshay Kumar (new name). All concerned please may note.

AKSHAY KUMAR
s/o Sh. Shama Nand,
Kiyari (106), Shimla,
Himachal Pradesh-171 204.

CORRECTION OF NAME

I, Sunita w/o Sh. Rohit Kumar, r/o Village Dagog, P.O. Baldeyan, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that in my son's Aadhar card his name is wrongly entered as Yesh which should be corrected as Yash. Please correct this.

SUNITA
w/o Sh. Rohit Kumar,
r/o Village Dagog, P.O. Baldeyan,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajinder Kumar s/o Sh. Daya Shankar, r/o Mahaveer Niwas, Near Panch Sheel Hotel, Old Bus Stand, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that in my son's birth certificate who was born in KNH Shimla his name is wrongly entered as Daksh which should be corrected as Vaibhav Gupta. Please correct this.

RAJINDER KUMAR
s/o Sh. Daya Shankar,
r/o Mahaveer Niwas,
Near Panch Sheel Hotel, Old Bus Stand,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Reena Kumari w/o Sh. Bihari Lal, r/o Village Chowki, P.O. Bhatawan, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Reena Devi which should be corrected as Reena Kumari. Please correct this.

REENA KUMARI
w/o Sh. Bihari Lal,
r/o Village Chowki, P.O. Bhatawan,
Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Subidha Devi w/o Sh. Surinder Kumar, r/o Village Gosan, P.O. & Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.)-176 315 declare that in my Aadhar Card bearing No. 4413 8642 6215 my name is wrongly entered as Subdha which should be corrected as Subidha Devi. Please correct this.

SUBIDHA DEVI
w/o Sh. Surinder Kumar,
r/o Village Gosan, P.O. & Tehsil Bharmour,
Distt. Chamba (H.P.)-176 315.

CORRECTION OF NAME

I, Mamta Kumari w/o Sh. Pankaj Thakur, r/o V.P.O. Himmer, Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is wrongly entered as Baby one of Mamta Kumari which should be corrected as Shaurya Thakur. Please correct this.

MAMTA KUMARI
w/o Sh. Pankaj Thakur,
r/o V.P.O. Himmer,
Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vimlesh Panjiyar aged 36 years s/o Sh. Gaur Panjiyar, r/o Village Sherwa, Panchayat -Mahui, Ajhia, Serwa, West Champaran, Serwa Masjidwa, Bihar-845455 & Presently residing at Madan Gopal Gupta Niwas, Market Complex, Jhakri, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Indraresha Kumari (Previous Name) to Indira Res (New Name). All concerned please may note.

VIMLESH PANJIYAR
s/o Sh. Gaur Panjiyar,
r/o Village Sherwa, Panchayat-Mahui, Ajhia, Serwa,
West Champaran, Serwa Masjidwa, Bihar-845455
Presently residing at Madan Gopal Gupta Niwas, Market Complex, Jhakri,
Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Chatender Kumar aged about 30 years s/o Sh. Mansa Ram, r/o Village Kathou, P.O. Seri Benglow, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my son's name from "Baby two of Anju Kumari" (Previous Name) to Priansh (New Name) in his Aadhar Card Records. All concerned please may note.

CHATENDER KUMAR
s/o Sh. Mansa Ram,
r/o Village Kathou, P.O. Seri Benglow,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th May, 2026

NO. GAD-A (B) 8-2/2026.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare 26-05-2026 (1st Phase), 28-05-2026 (2nd Phase) and 30-05-2026 (3rd Phase) as paid holidays in the State of Himachal Pradesh on account of general elections to Panchayati Raj Institutions on the respective dates. All Government Offices, Boards, Corporations, Educational Institutions and Industrial Establishments situated in the Himachal Pradesh including those covered under Industrial Disputes Act, as well as shops and commercial establishments situated in the concerned area of the Panchayati Raj Institutions shall remain closed on the above said dates. This will also be a paid holiday to daily wages employees and also within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881.

Further, it is clarified that this Election Programme shall not be applicable to the Gram Panchayats Karjan & Soyal of Development Block Naggar and Jaban & Namhog of Development Block Anni of District Kullu, H.P.

It is also clarified that special casual leave may be granted to those employees who are working at different places in the State but have a right to vote in above Panchayati Raj Institutions subject to production of certificate from the concerned Presiding Officer confirming that the employee has actually cast his/ her vote.

By order,
Chief Secretary.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 06 मई, 2026

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–12 / 2026–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन)

अध्यादेश, 2026 को दिनांक 06–05–2026 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2026 के अध्यादेश संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

(डॉ0 विवेक ज्योति),
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)।

———————————

2026 का अध्यादेश संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026

(भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 है।

2. धारा 122 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 में,–

"(क) उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) के स्पष्टीकरण में, "पुत्र" शब्द के पश्चात् ", पुत्र–वधु" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण में, "पुत्र" शब्द के पश्चात् ", पुत्र–वधु" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।"।

(कविन्दर गुप्ता),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(डॉ० विवेक ज्योति),
अतिरिक्त सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः 6 मई, 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE NO. 1 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

(Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India)

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2026.

2. Amendment of section 122. —In section 122 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994,—

"(a) in sub-section (1), in the Explanation to clause (e), after the word "son", the signs and words ", daughter-in-law" shall be inserted.

(b) in sub-section(2), in the Explanation to clause (d), after the word "son", the signs and words ", daughter-in-law" shall be inserted.".

(KAVINDER GUPTA),
Governor, Himachal Pradesh.

(DR. VIVEK JYOTI),
Addl. Secretary (Law)

SHIMLA:
THE 6th May, 2026.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।